- **कृषि विभाग द्वारा छोलदारी के ब्लूम्सडेल में पांच हजार नट क्षमता के हॉट एयर ब्लोअर किस्म का कोपरा सुखाने की मशीन को स्थापित किया गया है।**
- **पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग की ओर से हाल ही में कच्छाल के सालु टेकरी में एक सामूहिक कृमि मुक्ति शिविर का आयोजन किया गया।**
- **दक्षिण अंडमान ज़िले में आवासीय या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को किराए पर या परिसर को उप–किराए पर देने से पहले भू–मालिकों, मकान मालिकों और प्रबंधकों को ऐसे किराएदारों या पेइंग गेस्ट की जानकारी स्थानीय पुलिस स्टेशन पर देना अनिवार्य कर दिया गया है।**
- **भारतीय मौसम विभाग ने इस वर्ष देश भर में जून से सितम्बर तक मानसून सत्र के दौरान सामान्य से अधिक वर्षा होने का अनुमान लगाया है।**

<><><><><><><>

कृषि विभाग द्वारा छोलदारी के ब्लूम्सडेल में पांच हजार नट क्षमता के हॉट एयर ब्लोअर किस्म का कोपरा सुखाने की मशीन को स्थापित किया गया है। दक्षिण अंडमान के कृषक, जिन्होंने ई–समृद्धि पोर्टल मे अपना पंजीकरण कराएं हैं, वे नारियल को कोपरा में तब्दील करने का लाभ निशुल्क उठा सकते हैं। हालांकि नारियल को कोपरा में बदलने के लिए ईंधन का प्रबंध किसानों को स्वयं करना होगा। फार्म परिसर में नारियल या कोपरा के भंडारण के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। किसानों को चार–पांच दिनों के भीतर कोपरा बनाने की प्रक्रिया पूरा कर अपने कोपरा को तुरंत ले जाने को कहा गया है। इच्छुक किसान आवेदन पत्र अपने नजदीकी कृषि सब–डिपो या कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। किसानों को पहले आओ–पहले पाओ के आधार पर यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और इसके संचालन के लिए तकनीकी मार्गदर्शन फार्म प्रभारी की निगरानी में विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रदान किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेन्टर के फोन नम्बर दो चार तीन चार तीन चार पर या नजदीकी कृषि सब–डिपो से संपर्क कर सकते हैं।

<><><><><><><>

पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग की ओर से हाल ही में कच्छाल के सालु टेकरी में एक सामूहिक कृमि मुक्ति शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य परजीवी कृमि से निजात दिलाकर स्थानीय और पालतू पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार करना था। शिविर के दौरान लगभग एक सौ अस्सी से अधिक पालतू पशुओं की जांच की गई और उन्हें कृमि मुक्ति दवाएं दी गई। इस दौरान स्थानीय किसानों और पशु मालिकों को नियमित कृमि मुक्ति, उचित पशु देखभाल और प्रबंधन के बारे में जानकारी दी गई।

<><><><><><><>

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने फलों का कारोबार करने वाले व्यापारियों को फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले कैल्शियम कार्बाइड पर प्रतिबंध का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। पत्र सूचना कार्यालय की एक विज्ञप्ति में आम के इस मौसम में इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के साथ प्राधिकरण ने सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा विभागों को सतर्क रहने और आदेश का उल्लंघन करने वाले ऐसे सभी कारोबारियों से सख्ती से निपटने और कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। कैल्शियम कार्बाइड, आमतौर पर आम जैसे फलों को पकाने के लिए उपयोग किया जाता है, इससे एसिटिलीन गैस निकलता है जिसमें आर्सेनिक और फास्फोरस के हानिकारक अंश होते हैं। ये पदार्थ, जिन्हें 'मसाल' के नाम से भी जाना जाता है, चक्कर आना, मुँह सूखना, जलन, कमजोरी, निगलने में कठिनाई, उल्टी और त्वचा के अल्सर आदि जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा, एसिटिलीन गैस के साथ काम करने वालों के लिए भी उतनी ही खतरनाक है। इन खतरों के कारण, खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम, दो हजार ग्यारह के विनियमन के तहत फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आम उपभोक्ता इस बारे में अपनी शिकायतें संबंधित राज्यों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को कर सकते हैं। विवरण दिए गए लिंक पर उपलब्ध है।

<><><><><><><>

द्वीपसमूह में अपराध की दरों में बढ़ोत्तरी और दक्षिण अंडमान ज़िले में असामाजिक तत्वों द्वारा आवासीय या वाणिज्यिक क्षेत्र में छुपने के प्रयासों तथा शांति भंग करने वाले लोगों पर लगाम लगाने के लिए ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा किराएदारों की सत्यापन को अनिवार्य बनाया गया है। द्वीपवासियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संबंधित धाराओं के तहत यह आदेश जारी हुआ है। असामाजिक तत्वों द्वारा मानव जीवन के लिए खतरा

बनने या सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने से पहले ऐसे तत्वों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को रोकने के उद्देश्य से आदेश पारित किया गया है। ऐसे तत्वों पर नजर रखने के लिए मकान मालिकों, भू–मालिकों और ऐसे सभी आवासीय व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के मालिकों से कहा गया है कि वे अपने–अपने घरों या संस्थानों में नौकर रखने से पहले उनकी जानकारी स्थानीय पुलिस थाने को दें। इसके अलावा मकान मालिकों को अपने आवासीय परिसरों या घरों को स्वयं किराए पर देने या किसी अन्य पार्टी को किराए पर देने से पहले ऐसे लोगों या पेइंग गेस्ट की भी जानकारी लिखित में स्थानीय पुलिस थाने को देना होगा। यह आदेश आज से लागू हो गया है और अगले साठ दिनों तक उन सभी मकान मालिकों पर लागू होगा, जिनके पास घरेलू नौकर या नौकरानी है और जिन्होंने अब तक पुलिस थाने में इसकी जानकारी नहीं दी है। दक्षिण अंडमान ज़िला प्रशासन द्वारा यह आदेश इसलिए जारी किया गया है, ताकि असामाजिक तत्व के लोग सामान्य किराएदार, नौकर या पेइंग गेस्ट के रूप में नागरिकों को नुकसान न पहुंचा सके और तुरंत ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सी आर पी सी की धारा एक सौ चवालीस के तहत कार्रवाई की जाएगी।

<><><><><><><>

महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। यह पुरस्कार हर वर्ष असाधारण बहादुरी का योगदान देने वाले बच्चों के अलावा असाधारण उपलब्धियां हासिल करने वाले बच्चों को उनके योगदान के लिए दिया जाता है। खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति और नवाचार जैसे क्षेत्रों में अभूतपूर्व योगदान देने वाले युवाओं को पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। हर वर्ष जनवरी में आयोजित होने वाले विशेष समारोह में राष्ट्रपति द्वारा नई दिल्ली में पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस वर्ष इक्कतीस जुलाई तक पांच वर्ष से अट्ठारह वर्ष आयु वर्ग तक के भारतीय नागरिक, जो भारत में ही निवास करते हैं, वे पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकते है। आवेदन स्वीकार करने के लिए पोर्टल एक अप्रैल से खुल चुकी है। इक्कतीस जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन फार्म स्वीकार किए जाएंगे। इच्छुक बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं।

<><><><><><><>

शिक्षकों, विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और स्थानीय लोगों में द्वीपों की जैव विविधता संरक्षण पर जागरूकता उत्पन्न करने के लिए भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की ओर से प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। विभाग में कल से इक्कतीस मई तक सुबह दस बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक प्रदर्शनी आम जनता के लिए खुली रहेगी और इसमें प्रवेश निशुल्क होगा।

<><><><><><><>

मायाबंदर में आज सुबह साढ़े आठ बजे तक छियालीस दशमलव पांच मिलीमीटर और पोर्ट ब्लेयर में पांच दशमलव नौ मिलीमीटर वर्षा हुई। अगले दो दिनों के लिए मौसम संबंधी कोई विशेष चेतावनी नहीं है। तीस और इक्कतीस मई को निकोबार द्वीप के एकाध भागों में भारी वर्षा हो सकती है। तेज हवाओं और समुद्र के अशांत होने के कारण मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। इस बीच, भारतीय मौसम विभाग ने इस वर्ष देश भर में जून से सितम्बर तक मानसून सत्र के दौरान सामान्य से अधिक वर्षा होने का अनुमान लगाया है।

<><><><><><><>

डॉ. बी आर अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान में जी पी रेटिंग पाठ्यक्रम के लिए उम्मीदवारों के चयन के वास्ते सामान्य प्रवेश परीक्षा लिया जाएगा। तीन जून को सुबह दस बजे से लिखित परीक्षा और सात जून को सुबह नौ बजे और दिन में डेढ़ बजे दो पारियों में शारीरिक परीक्षा ली जाएगी। आवेदन फार्म इक्कतीस मई तक प्राप्त किए जा सकते हैं। उनतीस मई से एक जून तक हॉल टिकट दिए जाएंगे। प्रवेश के समय भारतीय पासपोर्ट का होना जरूरी है। अधिक जानकारी के लिए डीब्रेट के मैरीटाइम अनुभाग से उम्मीदवार दिए गए मोबाइल नम्बर पर संपर्क कर सकते हैं।

<><><><><><><>